17/4/17 - वकील वादी उपस्थित बहस सुनना चाहा पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18/4/17 को पेश हो।

सही
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) ...

18/4/17 — पत्रावली पेश हुई ... पीठासीन ... अधिकारी ... व्यस्त हैं। अतः आदेशानुसार दिनांक 25/4/17 को पेश हो

23/5/17 - आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में कोई मुकदमा ... पर पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने बहस करनी चाही। विद्वान वकील वादी की बहस को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद बहस वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल हो। ~~पत्रावली ...~~ पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सही
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) बूंदी

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना, आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 74/2016
वाद–पत्र दायरी दिनांक : 10/05/2016
निर्णय दिनांक : 23/05/2017

रामलाल पुत्र सुवा व्यस्क जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

-- वादी

बनाम

1. केसरा पि.मु. नारायण व्यस्क जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
2. तहसीलदार महोदय, मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

-- प्रतिवादीगण

— वाद इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा —

उपस्थिति – *श्री पन्नालाल चौधरी*
विद्वान अधिवक्ता वादी
प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।
प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 23/05/2017

— निर्णय —

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 535, 536, 583, 600 कुल किता 4 कुल रकबा 1.5500 हैक्टेयर व साबिक आराजी खसरा नम्बर 344/1, 345/2, 363/1, 377/1 वाके ग्राम किशनपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर मे स्थित है जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात है जिसमे वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। वादी सरकारी लगान प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जमा कराता आ रहा है। सजरा खानदान दर्शित करते हुये बताया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा विवादित आराजी व अन्य आराजी वादी प्रतिवादी संख्या 1 की मौरूसी मुश्तर्का सम्पति थी इसलिए विवादित आराजी के अलावा अन्य जो अन्य आराजी थी उसका विरासत का नामांतकरण संख्या 79 दिनांक 08.12.78 को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बहिस्सा बराबर 1/2 ग्राम पंचायत गंगातीकंला द्वारा तस्दीक कर खातेदारी दर्ज कर दी गयी जिस पर व विवादित आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर 1/2, 1/2 काबिज है लेकिन विवादित आराजी का विरासत का नामान्तरकरण संख्या 20

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 ने बिना इल्म व जानकारी वादी के दिनांक 25.08.1963 को अपने नाम तस्दीक करवाकर खातेदारी लगवाली लेकिन विवादित आराजी मे वादी के 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त में प्रतिवादी संख्या 1 ने आज तक किसी प्रकार की दखलंदाजी नही की। वादी ने दिनांक 10.03.2016 को विवादित आराजी पर के सी सी बनाने के लिए हल्का पटवारी से नकल जमाबंदी प्राप्त की तो प्रथम बार विवादित आराजी की तन्हा खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम होने की जानकारी हुई जिस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित आराजी मे से 1/2 हिस्से की आराजी नाम लगाने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को आश्वासन दिया कि एक डेढ महिने मे तुम्हारे 1/2 हिस्से की आराजी नाम लगवा दूंगा जिस पर विश्वास कर वादी ने कोई कार्यवाही विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 नही की। प्रतिवादी संख्या 1 के कहे अनुसार वादी ने पुनः प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 26.04.2016 को विवादित आराजी मे से 1/2 हिस्से की आराजी नाम लगवाने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को उसका 1/2 हिस्सा लगाने से इंकार कर दिया व ऐलानिया धमकी दी कि विवादित आराजी को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर तुम्हे बेदखल करूंगा इसलिए वादी को यह वाद विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि दावा बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 डिक्री फरमाया जाकर इस्तकरार हक इस अमर का सादर घोषित फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 535, 536, 583, 600 कुल किता 4 कुल रकबा 1.5500 हैक्टेयर वाके ग्राम किशनपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर मे वादी 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि विवादित आराजी वर्णित मद नम्बर 1 वाद पत्र में वादी के 1/2 हिस्से की आराजी मे किसी भी प्रकार की बेजा मजाहमत न स्वयं करे न अन्य से करावे तथा न ही विवादित आराजी को किसी भी प्रकार से रहन, बेय, बख्शीश द्वारा हस्तांतरित नही करे।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 28/09/2016 को प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामिल के उपस्थित नही होने से उसके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया।

दिनांक 10/01/2017 को वादी की ओर से गवाह पी.डब्लयू–1 रामलाल, पी.डब्ल्यू 2 गोपाल, पी.डब्ल्यू 3 हेमराज के शपथ–पत्र पेश हुये जो शामिल पत्रावली

Scanned by CamScanner

किये गये। वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहों पर बयान लिये गये। वकील वादी ओर साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात सत्य प्रति जमाबन्दी संख्या 10, 11, 44 सम्वत 2069 से 2072, नकल मिलान क्षैत्रफल, नकल खतौनी बन्दोबस्त संख्या 36, 81, 168, 122, 181, 131, 167 सम्वत 2011 से 2030, साक्ष्य गवाहान का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि वादी ने जो सजरा प्रस्तुत किया है, उसके अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होना साबित होता है, मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2011 लगायत 2030 के अनुसार विवादित आराजी के अतिरिक्त अन्य आराजी का पर्चा रूघनाथ, जगन्नाथ व सुवा पुत्रान हीरा व नारायण वल्द बालू के नाम से जारी होना पाया जाता है, लेकिन वाद ग्रस्त आराजीयात अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जबकि मौके कब्जा काश्त वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनों का 1/2–1/2 अनुसार होना साक्ष्य गवाहान एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से बखूबी साबित हैं, वादी ने भी अपने वाद में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में 1/2 हिस्से की घोषणा चाही हैं। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद विधिवत् तामिल के न तो स्वंय उपस्थित हुआ न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता, जवाब इत्यादि पेश हुआ है, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन उपरान्त वादी अपने वाद–पत्र को साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है, जिससे वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 535, 536, 583, 600 कुल किता 04 कुल रकबा 1.5500 हैक्टेयर वाके ग्राम किशनपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में वादी को 1/2 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23/05/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31[illegible]

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कैम्प कोर्ट [illegible] जिला जयपुर (राज०)

व इजलास श्री तिलोक चन्द मीणा, आर.ए.एस.

रामलाल पुत्र रूपा जाति जाट बनाम केशरा पुत्र नारायण जाति जाट नि० कि. किशनपुरा

दावा बावत [illegible] व [illegible] किशनपुरा

मुकदमा न. 74/2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री पन्नालाल चौधरी पी.ओ.

व हाजिरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू ....

.... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 535, 536, 583, 600 कुल किता 04 कुल रकबा 1.5509 हैक्टेयर वाके ग्राम किशनपुरा, तह० मौजमाबाद, जिला जयपुर में वादी को 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी क्र. 1 को 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बाबत .... मुबलिग .... फीसदी सालाना आज की तारीख से

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ....

तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 05 सन् 2017 को

जारी की गई।

दस्तखत सहायक कलक्टर

ओहदा कैम्प कोर्ट

मुहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner